



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला गाजियाबाद
तहसील सदर
आवेदन क्र० 15090030018561
प्रमाणपत्र क्र० 090231506238

जारी दिनांक: 06/05/2015

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

श्री अंशुल कुमार
श्री विजय पाल सिंह
श्रीमती सरोज
R-108, नन्दग्राम
सदर
गाजियाबाद



उत्तर प्रदेश राज्य की काछी जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री अंशुल कुमार पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में तथा विहिप छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



HANUMAN
PRASAD

Digitally Signed by
HANUMAN PRASAD
O=GOVERNMENT
OF UTTAR
PRADESH,
OU=REVENUE,
C=IN,
CN=HANUMAN
PRASAD,S=UTTAR
PRADESH

जारी कर्ता केन्द्र: जन सूविधा केन्द्र
पद: केन्द्र प्रभारी
स्थान: सदर, गाजियाबाद

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित